राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/09/2019 को संपन्न 295वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

———000———

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 295वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 19/09/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 18/09/2019 को संपन्न 294वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: 292वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स श्री सुनील कुमार अग्रवाल (लवाकेरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 868)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35985/2019, दिनांक 14/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/06/2019 एवं 03/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/07/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर शासकीय भूमि में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 52,115.7 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लवाकेरा का दिनांक 05/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 104/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 12/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थल नहीं है।
5. उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रभारी अधिकारी कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 1561/खनि.शा./2018 जशपुर, दिनांक 03/12/2018 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./2018/9998 जशपुर, दिनांक 05/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–लवाकेरा 1.8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल लवाकेरा 1.8 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.6 कि.मी. एवं ईब नदी 3.6 कि.मी., सिरमुण्डा एवं खुराई आरक्षित वन 1 कि.मी. दूर स्थित है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,56,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 96,688 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.304 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,483 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,959	1.5	52,115.7
	6,404	1.5	
द्वितीय	5,867	1.5	43,738.5
	5,348	1.5	

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 760 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अनुमोदित क्वारी प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 488/खनिज /2019 अम्बिकापुर, दिनांक 02/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Rs. 30</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">Rs. 0.6</td><td colspan="2">Following activities at Nearby Government primary School Village-Lawakera</td></tr>
<tr><td>Rain water harvesting</td><td>Rs. 0.40</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility</td><td>Rs. 0.18</td></tr>
<tr><td>Running tap water arrangement for toilet</td><td>Rs. 0.02</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 0.60</td></tr>
</table>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   - **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   - **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 104/खनि. शा./2019 जशपुर, दिनांक 12/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500

मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–लवाकेरा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1157/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–52,115.7 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40712/2019, दिनांक 06/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल क्षेत्रफल – 1.235 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 19,629 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 662/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 981/खनिज/ख.लि.3/ई–टेण्डर/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 2.304 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/377/खनिज/ख.लि.4/ई–टेण्डर/2018–19 अम्बिकापुर, दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–चंगोरी 0.6 कि.मी. एवं राजपुर 10 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम–चंगोरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.3 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.1 कि.मी. दूर है। गागर नदी 0.44 कि.मी., मौसमी नाला 0.63 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर स्थित है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,32,937 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,07,326 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.41 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 4,111 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	18,675
द्वितीय	18,000
तृतीय	18,354.38
चतुर्थ	18,765
पंचम	18,360
छटवे	17,887.5
सातवे	18,731.25
आठवे	19,264.5
नौवे	19,629
दसवे	18,927

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.29 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 581 नग एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 360 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स जिन कुशल कंसट्रक्शन कंपनी (कलडबरी लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर– श्री पियूष बैद), ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 857)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35766/2019, दिनांक 22/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/08/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलडबरी, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 194/2, 195/1, 195/2(पार्ट), 195/3(पार्ट), 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200, 202/1, 215/1, 215/2 एवं 228/1, कुल क्षेत्रफल – 3.536 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलडबरी का दिनांक 09/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांगविथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/ 2019/2530, दिनांक 13/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनि.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2061/टेंडर नंबर–17210/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 28/01/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक क्र./मा.चि./10–1/10457 राजनांदगांव, दिनांक 03/11/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–कलडबरी 0.5 कि.मी. एवं राजनांदगांव शहर 14 कि.मी., अस्पताल राजनांदगांव 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। तालाब 0.35 कि.मी. दूर स्थित है। मनघटा वन क्षेत्र 4.8 कि.मी. दूर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 14,85,120 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,34,500 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है।

ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	4,167	3	12,500	25,000
द्वितीय	4,167	3	12,500	25,000
तृतीय	4,167	3	12,500	25,000
चतुर्थ	4,167	3	12,500	25,000
पंचम	4,167	3	12,500	25,000

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकतटम ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पियूष बैद, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु दिनांक 30/08/2019 को आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि आवेदन खनिज विभाग में विचाराधीन है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि क्रय किये जाने के पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है।
3. खदान से एग्रीकल्चर क्षेत्र में पानी की निकासी से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि पानी प्रदूषित न हो और इसके फलस्वरूप कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 70	2%	Rs. 1.4	Following activities at Nearby Government School Village-Kaldabri	
			Rain water harvesting	Rs. 0.80
			Supplying of running water	Rs. 0.30
			Fencing and plantation	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 1.40**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. नोटराईज्ड पार्टनरशीप की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मंदिर हसौद लाईन स्टोन क्वारी, (प्रो.– श्री इन्द्र कुमार टाकनदास) ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 874)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36425/2019, दिनांक 20/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/06/2019 एवं 12/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 एवं 29/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, कुल क्षेत्रफल – 1.072 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,900 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिर हसौद का दिनांक 31/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 411/ख.लि./तीन–6/उ.प/2019, दिनांक 15/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–1/2019/1095 रायपुर, दिनांक 06/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 4.048 हेक्टेयर (मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स को दिनांक 21/01/2019 के द्वारा 30 वर्ष के लिए उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक निर्णय पत्र जारी किया गया) है।

4. लीज डीड श्री इन्द्र कुमार के नाम पर है, जिसकी अवधि 15 वर्ष (दिनांक 17/08/2012 से 16/08/2027 तक) की अवधि हेतु है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1997 रायपुर, दिनांक 22/06/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1 कि.मी. एवं रायपुर शहर 13 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल मंदिर हसौद 1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,76,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,29,571 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.185 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	45,900
द्वितीय	45,900
तृतीय	45,900
चतुर्थ	45,900
पंचम	45,900

4. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इन्द्र कुमार टाकनदास, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक पूर्व से संचालित खदान है, जिसे जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण जानकारी होने के कारण आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. पुरानी एवं नई लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. खदान क्षेत्र के पटवारी सीमांकन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा एवं वर्ष 2012 से 2017 तक उत्खनन कार्य नहीं किए जाने बाबत् खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. लीज क्षेत्र में क्रशर की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाई गई है। साथ ही सेफ्टी जोन की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स रायपुर स्टील कास्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 901)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/आईएनडी/ 37703/2019, दिनांक 13/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 106/49, 106/32, 744/58, 106/11, 106/10, 106/9, 106/15, 106/13, 106/22, 106/23, 106/30, 744/57, 106/31, 106/3, 106/35, 106/50, 106/51, 744/52, 106/26, 743/1, 729/2, 729, 730/1 एवं 106/38, कुल क्षेत्रफल – 13.26 हेक्टेयर (32.77 एकड़) में टनल किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–57,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 95 टन प्रतिदिन), इण्डक्शन फर्नेस (माईल्ड स्टील इंगाट एण्ड बिलेट्स) क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष (2 गुणा 15 टन), सेगर इकाई क्षमता–300 टन प्रतिमाह, स्लेग क्रशिंग इकाई 25 टन प्रतिघंटा एवं गैसीफायर (प्रोड्यूसर गैस) क्षमता–7,000 घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 46 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण

जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट्स एण्ड लॉजिस्टिक पार्क (सन एण्ड सन इन्फामेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 949)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 116563/ 2019, दिनांक 02/09/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197, ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल – 9.531 हेक्टेयर (95,310 वर्गमीटर) में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या, क्षेत्रफल का विवरण एवं वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 19/09/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी डुमरतराई 0.2 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल 0.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम नदी खारुन नदी 8.2 कि.मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है।

2. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन लगभग 600 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. N.	Area Statement		Details (m^2)
1.	Total Land Available		95,310
2.	Area under road (Raipur - Abhanpur road)		2052.22
3.	Net land area		95,257.78
4.	Permissible ground coverage (50% of S.No.3)		46,628.89
5.	Open Area (10% of S.No.3)		9,325.77
6.	Permissible BUA {(FAR = 2.5) =2.5 of S.No.3)}		2,33,144.45
7.	Proposed Ground Coverage (41.13% S.No.3)		38,355.48
8.	Proposed Open Area		9,526.56
9.	Proposed Built-up Area		49,056.62
	Regularized BUA	14,906.99 m^2	
	Proposed BUA	34,149.63 m^2	
10.	Road Area		34,899.24
11.	Parking Area		10,476.50

4. **विकास अनुज्ञा –**

i. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/6374/नग्रानि/पीएल–149/2009, रायपुर दिनांक 23/10/2009 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 5058 वर्गमीटर) के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

ii. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/21626/नग्रानि/अ.निय.प्र.क.15136/2018, रायपुर दिनांक 09/10/2018 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 14906.99 वर्गमीटर) के गैर–आवासीय (वाणिज्यिक) प्रयोजन अंतर्गत नियमितिकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

iii. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक/23586/नग्रानि/धारा–30'क'/पीएल–32/2018, रायपुर दिनांक 26/12/2018 द्वारा कुल भूमि 9.531 हेक्टेयर (निर्मित क्षेत्र 49056.62 वर्गमीटर) के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

5. **भवन निर्माण अनुज्ञा** – कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, छ.ग के ज्ञापन क्रमांक 46485, दिनांक 30/01/2019 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदाय की गई है।

6. **अग्निशमन सुरक्षा** – नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 329/752/फा.स./एन. ओ.सी./2019, अटल नगर रायपुर दिनांक 24/05/2019 द्वारा अग्नि सुरक्षा नवीनीकरण प्रमाण पत्र 01 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है।

7. **बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट –**

S. N.	Particulars	Built-up Area [m^2]		
		Regularized	Proposed	Total
1	Block – A	---	5410.96	5410.96
2	Block – B	1486.98	---	1486.98
3	Block – B 1	---	6432.46	6432.46
4	Block – C	---	8179.49	8179.49
5	Block – D	---	2683.24	2683.24
6	Block – D 1	---	8587.54	8587.54
7	Block – E [commercial]	13420.01	---	13420.01
8	Block – F	---	1270.06	1270.06
9	Block – G	---	354.06	354.06
10	Block – H	---	1231.82	1231.82
Total Area		**14906.99**	**34149.63**	**49056.62**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल घरेलु ठोस अपशिष्ट की मात्रा 150 किलोग्राम प्रतिदिन होगी, जिसे नगर पालिक निगम, रायपुर को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी संबंधी (बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) ठोस अपशिष्ट 0.70 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। जिसे ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर के माध्यम से खाद बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परिसर को पूर्ण रुप से प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 33 किलोलीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 18 किलोलीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 15 किलोलीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर पालिक निगम, रायपुर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – प्रतिदिन 16 किलोलीटर दूषित जल उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 30 किलोलीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस चेंबर, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक एवं प्रेसर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। Dual Plumbing System स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 15 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर

उद्यानिकी हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 1 किलोग्राम प्रतिदिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः परियोजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 70,020 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग वेल (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किये जाएगें। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत खपत** – परियोजना में 2,400 किलोवाट विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। परिसर में सड़को पर प्रकाश हेतु सोलर एल.ई.डी. लगाया जाना प्रस्तावित है एवं कॉमर्शियल एरिया तथा लॉबी एरिया के आंतरिक सभी स्थानों पर एल.ई.डी. का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका का विकास 11,527 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 12.36 प्रतिशत) में करना प्रस्तावित है।

13. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया गया है। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Additional Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Lakhs)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakhs)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Lakhs)
19.86	1%	19.86	Following Activities at Govt. Nagarjuna P.G. Science College at Raipur	
			Rain Water Harvesting	10.11

			Following Activities at Govt. (Late Mintoo Sharma) Higher Secondary School Dumartarai	
			Rain Water Harvesting	4.06
			Solar Lighting System	3.50
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Environmental Education & Awareness Program	1.50
			Total	**19.97**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 185/6(पार्ट), 193/1, 193/30(पार्ट), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(पार्ट), 193/37, 193/40, 185/15(पार्ट), 185/20(पार्ट), 185/22(पार्ट), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(पार्ट), 193/11, 193/12, 193/13(पार्ट), 193/14(पार्ट), 193/16(पार्ट), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(पार्ट), 193/25, 193/26(पार्ट), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(पार्ट), 196(पार्ट) एवं 197 में क्षेत्रफल – 95,257.78 वर्गमीटर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं लॉजिस्टिक पार्क कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 14,906.99 वर्गमीटर से 49,056.62 वर्गमीटर हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. दिनांक 16/09/2019 को संपन्न 292वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 16/09/2019 को संपन्न 292वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. मेसर्स भटभेरा लाईम स्टोन माईन (श्री रिपूसुदन वर्मा), ग्राम–भटभेरा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 692)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 74399 / 2018, दिनांक 13 / 04 / 2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 38155 / 2018, दिनांक 26 / 06 / 2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नाधीन प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरण:–समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 / 09 / 2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07 / 10 / 2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15 / 09 / 2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15 / 01 / 2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है, इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15 / 01 / 2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–भटभेरा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 100 / 1, 100 / 2 एवं 100 / 3, कुल लीज क्षेत्र 4.808 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,10,000 टन / वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 07 / 2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08 / 03 / 2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22 / 07 / 2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 08 / 2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 289वीं बैठक दिनांक 20 / 08 / 2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिपूसुदन वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भटभेरा का दिनांक 22/12/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो भारत सरकार, भारतीय खान ब्यरो, जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 507/खलि/तीन–6/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 05/07/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. निकटतम आबादी ग्राम–भटभेरा 1 कि.मी., शहर बलौदाबाजार 12 कि.मी., प्राइमरी स्कूल ग्राम–भटभेरा 5 कि.मी., अस्पताल ग्राम–भटभेरा 5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन हथबंद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. दूर है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु लीज डीड श्री मूलचंद जैन के नाम पर थी। श्री रिपुसूदन वर्मा के नाम पर लीज दिनांक 20/03/2003 को हस्तांतरित हुई है। लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 06/06/2006 से 05/06/2026 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व 35,11,100 टन एवं माईनेबल रिजर्व 13,12,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 7–8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2006	5,436.12
2007	410
2008	4,551.39
2009	300
2010	450
2011	28,117.88
2012	2,526.48
2013	27,427.2
2014	36,388.48
2015	52,588.2
2016	84,223.54

2017	56,858
2018	—

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2016—17	1,04,500
2017—18	1,04,500
2018—19	1,04,500
2019—20	1,04,500
2020—21	1,04,500

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।
11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः—**
    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2019 से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 2 स्थानों पर भू—जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 36.38 से 49.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 55.21 से 84.36 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.24 से 25.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 12.84 से 39.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 53.3 डीबीए पाया गया।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ टी.ओ.आर. में निर्धारित किए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 2,000 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।

2. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्य 6 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/09/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 2,000 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

2. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 25	2%	Rs. 0.5	Following activities at Nearby Government primary School Village-Suhela	
			Rain water harvesting	Rs. 0.50
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.50
			Separate toilet for boys & girls will be constructed	Rs. 0.50
			Solar light system, water pumps in village	Rs. 1.0
			Total	**Rs. 2.50**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रस्तुत रेमेडियल प्लान में दी गई गणना वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। अतः समिति द्वारा उक्त को अमान्य किया गया।

8. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 63rd conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2018" का अवलोकन किया गया। उक्त conference के कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न "Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" का समिति सदस्यों द्वारा अध्ययन/अवलोकन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर समिति द्वारा विचार किया एवं पाया गया कि:–

   i. प्रतिवेदन में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology का वर्णन करते हुये उद्योगों के लिए Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला निर्धारित किया गया:–

EC=PIxNxRxSxLF Where, EC - Environmental compensation in Rs. PI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of voilation took place R - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

Note:

a. The industrial sectors have been categorized into Red, Orange and Green, based on their Pollution Index in the range of 60 to 100, 40 to 59 and 21 to 40 respectively. It was suggested that the average Pollution Index of 80, 50 and 30 may be taken for calculating the Environmental Compensation for Red, Orange and Green categories of industries, respectively.

b. N, number of days for which voilation took place is the period between the day of voilation observed / due date of the direction's compliance and the day of compliance verified by CPCB / SPCB / PCC.

c. R, is the factor in Rupees, which may be minimum of 100 and maximum of 500. It is suggested to consider R as 250, as the Environmental Compensation in cases of voilation.

d. S, could be based on small / medium / large industries categorization, which may be 0.5 for micro or small, 1.0 for medium and 1.5 for large units.

e. LF, could be based on population of the city / town and location of the industrial unit. For the industrial unit located within municipal boundary or up to 10 km distance from the municipal bounary of the city / town, following factors (LF) may be used.

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा उपरोक्त फार्मुला को मण्डल की 46वीं बैठक, दिनांक 29/07/2019 से छत्तीसगढ़ में अंगीकृत करते हुए लागू किया गया है।

iii. उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं। स्पष्टता के अभाव में समिति ने निर्णय लिया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा प्रस्तावित तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा adopted उपरोक्त फार्मुला को प्रयोग के तौर पर उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए ही मान्य किया जाये।

iv. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-29012/ESS(CPA)/2015-16 dated March 7, 2016 की संशोधित गाईडलाईन अनुसार माईनिंग के प्रकरण रेड कैटेगरी के अंतर्गत आते है।

v. समिति द्वारा निर्धारित Formula में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) के संबंध में गहन विचार किया गया। समिति का मत है कि माईनिंग एरिया (खदान) शहरी क्षेत्र से काफी दूर है तथा खदान के 10 कि.मी. के भीतर जनसंख्या बहुत कम है। जबकि निर्धारित Formula उद्योगों (Industries) हेतु बनाया गया है। इसकी सूची में लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से अधिक की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान नहीं होने के कारण समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लोकेशन फैक्टर (L-Factor) का मान 10 लाख से नीचे की आबादी हेतु निम्नानुसार माना जाये:–

क्रमांक	जनसंख्या (लाख में)	लोकेशन फैक्टर (L-Factor)
1	5–10	1.0
2	1–5	0.75
3	1 से कम	0.5

यह मापदण्ड केवल खदानों के लिए निर्धारित किया गया है।

vi. अतः उत्खनन प्रकरणों के लिए PI - 80, R-Factor - 250, S-Factor - 0.5 एवं L-Factor उपरोक्तानुसार लेने का निर्णय लिया गया।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की अवधि में कुल 1,41,081 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उल्लंघन की अवधि में औसतन 459 टन प्रतिदिन उत्पादन किया गया था। समिति द्वारा विचार कर यह निर्णय लिया गया कि उत्पादन अनुसार उल्लघंन दिवस 307 (1,41,081 टन/459 = 307 दिन) माना जाए।

viii. Environmental Compensation की राशि की गणना उपरोक्त फार्मुला के अनुसार निम्नानुसार होती है:–

Environmental Compensation = PIxNxRxSxLF
Environmental Compensation = 80x307x0.5x0.5x250
Environmental Compensation = Rs. 15,35,000 /-

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 15,35,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 15,35,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बिहावबोड़ क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (श्री गौतम चंद डाकलिया), ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव (644)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 20916/2017, दिनांक 06/11/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36672/ 2019, दिनांक 27/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरण:– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के

5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/10/2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है, इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (गौण खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 130, ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़) है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 16,000 टन/वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/10/2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019 – समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम चंद डाकलिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत भेंडरवानी द्वारा दिनांक 15/10/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वारी प्लान विथ पर्यावरणीय प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर द्वारा (वर्ष 30/10/2010 से 29/10/2035 तक की अवधि हेतु) अनुमोदित है।

3. कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 4268/ख.लि.02/2017 राजनांदगांव दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 4.45 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

4. निकटतम आबादी ग्राम–बिहावबोड़ 0.5 कि.मी., शहर राजनांदगांव 15 कि.मी., अस्पताल नवागढ़ 4.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन राजनांदगांव 18 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 10 कि.मी. है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2006 द्वारा भू–प्रवेश एवं खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड श्री गौतम चंद डाकलिया के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों के लिए 30/10/2005 से 29/10/2035 तक की अवधि हेतु है।

8. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 11408, दिनांक 03/11/2003 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं होने के कारण खनिज क्वार्जाइट एवं सिलिका सेंड का उत्खनिपट्टा स्वीकृति किये जाने के संबंध में विभाग की कोई आपत्ति नहीं है। आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 6,88,000 टन, माईनेबल रिजर्व 6,17,800 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,56,020 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 से 2 मीटर है। उत्खनन की अधिकतम प्रस्तावित गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। संचालनालय, जियोलॉजी एण्ड माईनिंग, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 19/09/2017 द्वारा अनुमोदित क्वारी प्लान (विथ इन्वाहायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2006–07	4,175.6
2007–08	7783.61
2008–09	1345.11
2009–10	निरंक
2010–11	निरंक

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2011–12	निरंक
2012–13	निरंक
2013–14	निरंक
2014–15	निरंक
2015–16	निरंक
2016–17	70
2017–18 (31/12/2017 तक)	10

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल उपभोग की मात्रा 12 कि.मी. प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन एवं प्लांटेशन 10 कि.मी. प्रतिदिन, ड्रिलिंग एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 कि. मी. प्रतिदिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र (क्षेत्रफल 9,750 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण किया जावेगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

13. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

14. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 36.41 से 59.49 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 57.65 से 89.49 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.35 से 17.22 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 9.52 से 24.78 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 56.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 34.5 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 9 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 675 दिनांक 06/09/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/09/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 9 का पालन प्रतिवेदन – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./5–29/1408 राजनांदगांव, दिनांक 03/11/2003 अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में बताया गया की भूमि नॉन–एग्रीकल्चरल होने के कारण उक्त क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा नहीं पाई गई एवं उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh)
Rs. 65	2%	Rs. 1.30	Following activities at Nearby Government School Village-Bhendaravani	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Separate toilet for boys & girls will be constructed	Rs. 0.35
			Solar light system, water pumps in village	Rs. 0.25
			Total	**Rs. 1.30**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. **Environmental Compensation** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/– रूपये का प्रस्ताव दिया गया है। प्रकरण में उल्लंघन का स्वरूप गंभीर नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन कर केवल 106 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए प्रस्ताव को मान्य किया गया।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/– रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,00,000/– रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स राजुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती उषा के राजपुरिया), ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 687)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 24359/ 2018, दिनांक 12/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42362/ 2018,

दिनांक 06/09/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरणः– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/10/2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है, इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 161, कुल लीज क्षेत्र 1.53 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,800 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत ई.आई.ए. का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स माँ शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 941)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40927/2019, दिनांक 09/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 एवं 11/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/09/2019 एवं 14/09/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल – 4.048 हेक्टेयर खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,96,670 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.लि./तीन–6/ई–निविदा/2019/1115 दिनांक 08/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क/ख.लि./तीन–1/2019/1145 रायपुर, दिनांक 20/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर में दिनांक 13/09/2013 के पश्चात् अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.943 हेक्टेयर है।

3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–1/ई–निविदा/2018/2011 रायपुर, दिनांक 21/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./रा/4655 रायपुर, दिनांक 05/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1 कि.मी., शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल मंदिर हसौद 1 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 23,04,637 टन एवं माईनेबल रिजर्व 14,44,650 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.185 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,86,226.25

द्वितीय	2,86,215
तृतीय	2,86,728.75
चतुर्थ	2,88,787.5
पंचम	2,96,670

8. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
9. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा।
10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

26.9.2019

(भोसकर विलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

10/10/19
(A.K. GOURAHA)

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री सुनील कुमार अग्रवाल (लवाकेरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी), को खसरा क्रमांक 1157/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–लवाकेरा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर में आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 52,115.7 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से आर्डिनरी स्टोन क्वारी का अधिकतम उत्खनन 52,115.7 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Rs. 30</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">Rs. 0.6</td><td colspan="2">Following activities at Nearby Government primary School Village-Lawakera</td></tr>
<tr><td>Rain water harvesting</td><td>Rs. 0.40</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility</td><td>Rs. 0.18</td></tr>
<tr><td>Running tap water arrangement for toilet</td><td>Rs. 0.02</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 0.60</td></tr>
</table>

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 760 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. (A.K. GOORARA) **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR COMMERCIAL COMPLEX & LOGISTICS PARK BY M/S L. K. CORPORATE AND LOGISTICS PARK AT KHASRA NUMBER 185/6(P) , 193/1, 193/30(P), 193/4, 193/28, 193/29, 193/36(P), 193/37, 193/40, 185/15(P), 185/20(P), 185/22(P), 185/35, 192/3, 192/6, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/33(P), 193/11, 193/12, 193/13(P), 193/14(P), 193/16(P), 193/22, 193/17, 193/18, 193/21(P), 193/25, 193/26(P), 193/27, 193/31, 193/32, 193/33(P), 196(P) & 197 AT DUMARTARAI, TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR IN EXSITING PROJECT AREA - 95,257.78 M^2 FOR THE PROPOSED EXPANSION IN BUILTUP AREA - 14906.99 M^2 TO 49056.62 M^2

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur.(If required)

iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

v. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.

ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. Notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water Quality Monitoring And Preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.

iii. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.

xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.

xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xvii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

xviii. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil/ grease trap, equilization tank, MBBR tank, sand filter, activated carbon fitler, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xix. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xx. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xxi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.
ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities.The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016, Ready mixed concrete must be used in building construction.
ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
ii. Green belt shall be developed in an area equal to 12.36 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, aved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points.
   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

IX. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Lakhs)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakhs)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Lakhs)
19.86	1%	19.86	Following Activities at Govt. Nagarjuna P.G. Science College at Raipur	
			Rain Water Harvesting	10.11
			Following Activities at Govt. (Late Mintoo Sharma) Higher Secondary School Dumartarai	
			Rain Water Harvesting	4.06

			Solar Lighting System	3.50
			Potable Drinking Water Facility	0.80
			Environmental Education & Awareness Program	1.50
			Total	**19.97**

ii. The project proponent shall submit detailed proposal (proposed school name, address & headwise estimate) for Corporate Environment Responsibility within one month, failing which Environment Clearance shall be treated as cancelled.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Miscellaneous

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.

ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC